कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G2G

पत्रांक– 450 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 28 अगस्त, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 584/2012 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1107 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/12982/2015)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/205/2019/एफ0सी0/227 दिनांक 24.05.2023।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय विन्दुओं की सूचना चाहीं गयी है। उक्त सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 247/12–1(2) दिनांक 25.07.2025 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ के पत्रांक 55/12–1 दिनांक 02–07–2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र.सं.	आपत्ति	उत्तर
1	Reason of dalays in the proposal as desired to be provided vide point 1 of the EDS letter dt. 14-01-2020 is not found satisfactory. Further the comment on nature and scope of the project in view guideline para 1.20 of the hand book is required to be provided by the State Government.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट मोटर मार्ग में ग्राम–सोसा के तोक नारायण आश्रम, नयन एवं पस्ती जिसकी आबादी 1020 है, जो मोटर मार्ग से वंचित है, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु बार–बार अनुरोध किया जा रहा है। उक्त मोटर मार्ग निर्माण होने के फलस्वरूप उक्त गांव मोटर मार्ग से जुड जायेगा एवं ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा प्राप्त होगी। गांव का पलायन रूकेगा। जिस हेतु मोटर मार्ग निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वृक्षों की गणना 9.00 से 7.00 मी0 में करने हेतु आपत्ति लगाई गयी थी, वृक्षों की गणना आदि कार्य के कारण आपत्ति का निराकरण करने में विलम्ब हुआ।
2.	The separate tree enumeration for the area of the muck dumping is required to be provided.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण में वृक्षों की सूची पृथक से तैयार कर अपलोड कर दी गई है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। *(संलग्नक–1)*
3.	The employment details as desired vide point 8 of the EDS is not yet corrected in online portal. State Governement is requested to provide the correct employment detail at para E in part I.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा employment details पार्ट–I में सही कर अपलोड कर दिया गया है।
4.	The CA area has now been corrected but after DSS analysis of the same, the 1.0 ha area out of 4.22 ha area is found MDF. The State Govt. is requested to plant the balance seedlings in degraded forest land as per the provisions of working plan. Therefore, it is requested to provide name of the RF/PF in which balance seedlings of 1000 in number will be planted against this 1 ha MDF.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर उपयुक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। *(संलग्नक–2)*

5.	The tree enumeration is still not clear as various tree lists are found uploaded in online portal in Part –I and II. The State Govt. is requested to replace all tree enumeration with the correted copy and a separate tree enumeration is requested to be provided for 7m width and 9 m width.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौडाई में कर पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है। *(संलग्नक–3)*
6.	In the KML file it is seen that the road cutting work from the right side of the target village has been initiated in the year 2020 which can be extended up to the target village. It is because the village on the starting point of the proposed road is already connected to the existing road. Further, the complete details viz name of the road, date of approval under the provison of FCA 1980 etc. for the road in which cutting work is seen to be initiated around year 2020 are required to be provided to this office.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग का प्रारम्भ बिन्दु तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग ग्राम सोसा तोक नारायण आश्रम से प्रारम्भ होकर ग्राम सोसा के तोक नयन को जोड़ते हुए पस्ती में समाप्त होता है। के0एम0एल0 फाईल में गस्कू से जीमाफी कुरीला पी0एम0जी0एस0वाई0 के द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। *(संलग्नक–4)* जिसमें उक्त ग्राम मोटर मार्ग से 2.00 किमी0 दूरी पर स्थित होने के कारण मोटर मार्ग से ग्राम सोसा के तोक नयन एवं पस्ती मोटर मार्ग से वंचित है। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु बार–बार अनुरोध किया जा रहा है। जिस हेतु मोटर मार्ग निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है। साथ ही साथ प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम सोसा एवं जयकोट को दोहरी संयोजकता प्राप्त होगी तथा व्यास घाटी एवं चौदास घाटी मोटर मार्ग निर्माण से संयोजकता प्राप्त होगी'।
7.	In view of the point 6 above the detailed inspection note of the concerned DFO is also requested to be furnish.	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित है। *(संलग्नक–5)*
8.	As per the KML file of the proposed road the main habitation can be seen at village Jaikot and this village could easily be connetcted by extending the existing road through non-forest/less vegetated area. Therefore the proposed road does not seem to be justified. State Governemnt is requested to submit detailed comments in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि के0एम0एल0 फाईल के अनुसार ग्राम जयकोट पी0एम0जी0एसं0वाई0 मोटर मार्ग से जुड़ चुका है, परन्तु जयकोट से पस्ती नयन को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग प्रस्तावित है। पस्ती नयन तोक मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है। जिस हेतु जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु बार–बार अनुरोध किया जा रहा है। जिस हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 450/ 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अस्कोट, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

12982

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक –247 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 25/07/ .2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 584 / 2012 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1107 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं0 12982 / 2015 ।

संदर्भ :– भारत सरकार की पत्र सं0 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 205 / 2019 / एफ0सी0 / 227 दिनांक 24.05.2025 ।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़ के पत्रांक 55 / 12–1 दिनांक 02.07.2025 द्वारा सूचित किया गया है, जिसे आपके सूचनार्थ सादर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

प्रभारी पिथौरागढ़
आ० का० कोर।

प्र० व० स० / नो०
30-7-25

23 JUL 2025 3084

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः— 55 /12—1 दिनांक, पिथौरागढ़, 2 जुलाई, 2025 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ में मा0मु0घो0 संख्या 584/2012 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1107 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/12982/2015)।

संदर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/205/2019/एफ0सी0/227 दिनांक 24.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उच्च स्तर से उल्लिखित कमियों का प्रस्तावक विभाग स्तर से निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः—

S.NO.	आपत्ति	उत्तर
1	Reason of dalays in the proposa; as desired to be provided vide point 1 of the EDS letter dt. 14-01-2020 in not found satisfactory. Further the comment in nature and scope of the project in view guideline para 1.20 of the hand book is required to be provided by the State Government.	बिन्दु सं0 01 के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि "नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट मोटर मार्ग में ग्राम—सोसा के तोक नारायण आश्रम, नयन एवं पस्ती जिसकी आबादी 1020 है, जो मोटर मार्ग से वंचित है, जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु बार—बार अनुरोध किया जा रहा है। उक्त मोटर मार्ग निर्माण होने के फलस्वरूप उक्त गांव मोटर मार्ग से जुड़ जायेगा एवं ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा प्राप्त होगी। गांव का पलायन रूकेगा। जिस हेतु मोटर मार्ग निर्माण किया जाना अतिआवश्यक है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वृक्षों की गणना 9.00 से 7.00 मी0 में करने हेतु आपत्ति लगाई गयी थी, वृक्षों की गणना आदि कार्य के कारण आपत्ति का निराकरण करने में विलम्ब हुआ।"
2.	The separate tree enumeration for the area of the muck dumping is required to be provided.	मलवा निस्तारण में वृक्षों की सूची पृथक तैयार कर अपलोड कर दी गई है (सूची संलग्न)।
3.	The employment details as desired vide point 8 of the EDS is not yet corrected in online portal. State Governement is requested to provide the correct employment detail at para B in part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा employment details पार्ट—I में सही कर अपलोड कर दिया गया है।
4.	The CA area has now been corrected but after DSS analysis of the same, the 1.0 ha area out of 4.22 ha area is found MDF. The State Govt. is requested to plant the balance seedings in degraded forest land as per the provisions of working plan. Therefore, it is requested to provide name of the RF/PF in which balance seedlings of 1000 in number will be planted against this 1 ha MDF.	प्रस्तावित सी0ए0 क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर उपयुक्तता सम्बन्धी प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है (संलग्न)।
5.	The tree enumeration is still not clear as various tree lists are found uploaded in online portal in Part –I and II. The State Govt. is requested to replace all tree enumeration with the correted copy and a seprate tree enumeration is requested to be provided for 7m width and 9 m width.	वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौड़ाई में कर पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है (सूची संलग्न)।

संलग्नक - 1 (2)

जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला अन्तर्गत नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट मोटर मार्ग 5.00 किमी0 निर्माण अंतर्गत डम्पिंग जोनो से प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना कार्य दिनांक 25–01–2024

क्र0 सं0	प्रति किमी0	भूमि का प्रकार	डम्पिंग जोन	प्रजाति	वृक्षों की गोलाई				योग
					0–10	10–20	20–30	30–40	
1	01 से 05 किमी0 के मध्य	सिविल भूमि एवं नाप भूमि	01 से 05 किमी0 के मध्य	रिक्त	–	–	–	–	–

कनिष्ठ अभियन्ता
लो० नि० वि० अस्कोट

(सन्तोष सिंह पतियाल)
व० र०
ज्योतिपानी / कालिका सेक्टर

(जयप्रकाश सिंह)
वन दरोगा
पांगू अनुभाग

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र...... धौला...... धारचूला
जिला– पिथौरागढ़

वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० निर्माण खण्ड

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़.

संलग्नक-2

:: प्रारूप ::

परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :– FP/UK/ROAD/12982/2015

परियोजना /प्रस्ताव का नाम /जनपद :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 584/2012 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से परती जयकोट मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना का क्षेत्रफल :– 4.220 है0।

प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम पता :– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट।

वन प्रभाग का नाम व पता :– अस्कोट/ धारचूला।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वनभूमि प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि ग्राम सोसा सिविल भूमि में क्षेत्रफल 4.220 है0 है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त सिविल भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नही है। क्षेत्र में कुछ स्थल में स्थानीय झाड़िया व गाजर घास है, व क्षेत्र में 1100 पौध प्रति है0 रोपित हो सकता है।

अतः उक्त क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़.

अधिशासी अभियन्ता
लो0 नि0 वि0 निर्माण खण्ड
अस्कोट

कनिष्ठ अभियन्ता
लो० नि० वि० अस्कोट

वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र........तहसील धारचूला
जिला– पिथौरागढ़

(सन्तोष सिंह पतिपाल)
व० प०
ज्योति पांगु/सातसिलिंग

(जयप्रकाश सिंह)
वन दरोगा
पांगू अनुभाग

E:\Amin PD JOSHI\Latter.doc

संलग्नक-3

कार्य वृत्त का नाम–उत्तरी कुमॉऊ वृत्त अल्मोड़ा

प्रगाग का नाम–पिथौरागढ़ वन प्रगाग

वन क्षेत्र का नाम–धारचूला

कार्य क्षेत्र का नाम– सोसा सिविल

विकारा कार्य का नाम– लोक निर्माण विमाग धारचूला के द्वारा नारायण आश्रम रो परती, जयकोट तक 0.00 किमी0 रो 5.00 किमी0 के गध्य नव निर्माण मोटर गार्ग रो सोसा सिविल गें प्रगावित होने वाले वृक्षों की गणना कार्य दिनांक–25–01–2024। (7.00 मीटर चौड़ाई में की गई है)

क्र0 सं0	सिविल भूमि	प्रजाति	व्यासवार वर्ग सेमी0 में गोलाई										योग
			0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से ऊपर	
1	सोसा सिविल	बांज	–	8	6	2	–	–	–	–	–	–	16
2		बुरांश	–	24	19	5	4	2	–	1	–	–	55
3		कैल	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	3
4		मेहल	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
5		रियाज	–	9	6	1	–	2	–	–	–	–	18
6		देवदार	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
7		सुरई	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
8		अयांर	–	22	22	5	4	1	2	–	–	–	56
9		कुकाठ	–	6	3	–	–	–	–	–	–	–	9
10		उतीस	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
11		चीड	–	–	1	2	–	–	–	–			3
12		कठभोज	–	–	1	–	–	–	–				1
13		खरसू	–	1	–	–	–	–	–			–	1
		योग	–	73	60	16	9	5	2		–	–	166

प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़

पृष्ठ सं. 02 पर

वन क्षेत्राधिकारी धारचूला

कनिष्ठ अभियन्ता लो0 नि0 वि0 अस्कोट

(सन्तोष सिंह पतियाल) व0 र0 ज्योतीपानू/खालीलीट 25-01-2024

(जयप्रकाश सिंह) वन दरोगा पांगू अनुभाग 25-01-2024

Scanned with OKEN Scanner

(5) (02)

कार्य वृत्त का नाम–उत्तरी कुमॉऊ वृत्त अल्मोड़ा

प्रभाग का नाम–पिथौरागढ़ वन प्रभाग

वन क्षेत्र का नाम–धारचूला

कार्य क्षेत्र का नाम– सोसा वन पंचायत

विकास कार्य का नाम– लोक निर्माण विभाग धारचूला के द्वारा नारायण आश्रम से पस्ती, जयकोट तक 0.00 किमी0 से 5.00 किमी0 के मध्य नव निर्माण मोटर मार्ग से वन पंचायत सोसा में प्रभावित होने वाले वृक्षों का गणना कार्य दिनांक–25–01–2024। (7.00 मीटर चौड़ाई में की गई है।)

क्र0 सं0	पंचायत भूमि	प्रजाति	व्यासवार वर्ग सेमी0 में गोलाई										योग
			0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से ऊपर	
1	वन पंचायत सौसा	बांज	–	2	30	1	–	–	–	–	–	–	33
2		बुरांश	–	7	14	–	–	–	–	–	–	–	21
3		उतीस	–	4	5	–	–	–	–	–	–	–	9
4		कैल	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	2
		योग	–	13	50	2	–	–	–				65

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

....पृष्ठ सं. 03 पर

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र...सोसा...
जिला– पिथौरागढ़

धारचूला
वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला

अ0 वि0
डी0 4 लो0 नि0 वि0
धारचूला

कनिष्ठ अभियन्ता
लोक नि0 वि0
धारचूला

(सन्तोष सिंह पतियाल)
व0 र0
ज्योति पांगू / स्यालिया नीट
25-01-2024

(जयप्रकाश सिंह)
वन दरोगा
पांगू अनुभाग
25-01-2024

कार्य वृत्त का नाम–उत्तरी कुमॉऊ वृत्त अल्मोड़ा

प्रभाग का नाम–पिथौरागढ़ वन प्रभाग

वन क्षेत्र का नाम–धारचूला

कार्य क्षेत्र का नाम– नाप भूमि

विकारा कार्य का नाम– लोक निर्माण विभाग धारचूला के द्वारा नारायण आश्रम से पस्ती, जयकोट तक 0.00 किमी0 से 5.00 किमी0 के मध्य नव निर्माण मोटर मार्ग से नाप भूमि में कास्तकारों के प्रमावित होने वाले वृक्षों का गणना कार्य दिनांक–25–01–2024। (7.00 मीटर चौड़ाई में की गई है।)

क्षेत्र का नाम	क्र0 सं0	कास्तकार का नाम	प्रजाति	व्यासवार वर्ग सें0 मी0 में गोलाई										योग
				0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से ऊपर	
नाप भूमि	1	श्री गोविन्द सिंह	अयांर	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	2	श्री सूर सिंह पुत्र फेरवा सिंह	अयांर	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
	3	श्री निकलो सिंह वुदियाल	अखरोट	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	7
	4	श्री सनम सिंह गर्खाल	कैल	–	12	5	2	1	–	–	–	–	–	20
	5	श्री पूरन सिंह पुत्र कालो सिंह	कैल	–	2	3	2	–	–	–	–	–	–	7
			रियांज	–	3	2	–	–	–	1	–	–	–	6
			बांज	–	6	6	1	–	–	–	–	–	–	13
			बुरांश	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
														27
	6	श्री खडक सिंह पुत्र मोती सिंह	सेब	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	7	श्री पुष्कर सिंह पुत्र शेर सिंह	अखरोट	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
			योग	–	35	17	5	1	–	1	–			59

प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़

विवरण

1. सोसा सिविल – 166 वृक्ष
2. वन पंचायत सोसा – 65 वृक्ष
3. काश्तकारों की नाप भूमि में– 59 वृक्ष

कुल योग– 290 वृक्ष

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र... जिला– पिथौरागढ़

वन क्षेत्राधिकारी धारचूला

कनिष्ठ अभियन्ता लो० नि० वि० अस्कोट

(सन्तोष सिंह पतियाल) व० प० ज्योली पातू/रूंगलिंगटेट

(जयप्रकाश सिंह) वन दरोगा पांगू अनुभाग 25-01-2024

(ख) क्षतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य से उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है तथा अवगत कराया गया है कि *"सन् 1893 राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है तथा उक्त भूमि का अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है"* अतः राज्य सरकार उक्त भूमि जो अब वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गयी है को अपनी कार्य योजना में शामिल करना सुनिश्चित करें।

(घ) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।

4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 393 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
6. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
8. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
9. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
11. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा central verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय प वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
12. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
13. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
14. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
15. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

2/3 contd..

16. प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा।

17. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

18. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।

भवदीय,

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Phase XVII, 2018-19, Batch-II

संख्याः 18g /XI/19/56(63)2018

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू0आर0आर0डी0ए0,
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ग्राम्य विकास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 18 जनवरी, 2019

विषयः– पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के फेज–17 बैच–2 में स्वीकृत 244 कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्रांक P–17024/28(3)/2018–RC (E-364173) दिनांक 12.11.2018 कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोर नेटवर्क के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज–17, वर्ष 2018–19, बैच–2 में कुल 29 (500 +की 02, 250 + की 25 एवं <250 की 2 कलस्टर) असंयोजित पात्र बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु World Bank- Rural Road Project-II (RRP-II) के अन्तर्गत 244 कार्यों (स्टेज–1 के 08, स्टेज–1 व 2 के 18, स्टेज–2 के 150 एवं सेतु के 66), लम्बाई 1531.562 किमी0, लागत रू0 902.72 करोड़ (केन्द्रांश रू0 812.45 करोड़ एवं राज्यांश रू0 90.27 करोड़) की वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के पत्रांक संख्या P–17024–28(3)–2018–RC(E-364173), दिनांक 12.11.2018 द्वारा संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार दी गयी है। अतः प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज–17 वर्ष 2018–19 बैच–2 के अन्तर्गत उक्त 244 कार्यों को कोर नेटवर्क के अनुसार भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में कार्यवार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है, इसके साथ ही उक्त 244 कार्यों में से स्टेज–1 के कार्यों हेतु 2 वर्षीय एवं स्टेज–1 व 2, स्टेज–2 व सेतुओं हेतु 5 वर्षीय अनुरक्षण एवं रख–रखाव पर होने वाला व्यय रू 089.87 करोड़ का वहन, शासनादेश संख्या 2078/आई1–01/पी0एम0 जी0एस0वाई0/03 दिनांक 17.12.2003 के कम में राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

~~संलग्नक — यथोपरि।~~

112/CEO/PMGSY/18
23/01/2019

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

...		No.		...	Km	(₹ in Lacs)	Ist yr.	IInd yr.	IIIrd yr.	IVth yr.	Vth yr.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	District : Pithoragarh											
173	Dharchula	UT-09-76	Syankuri to Dhamigaon, L037	I&II	8.175	603.11	10.37	10.31	13.42	9.63	15.26	58.99
174	Dharchula	UT-09-74	36 Mtr. Span Steel Girder at Km-15 (X.S. 14/6) of Tanakpur-Tawaghat to Ranthi MR, L035	Bridge	–	215.37	0.03	0.15	2.90	0.18	2.17	5.43
175	Dharchula	UT-09-77	Tanakpur-Tawaghat to Ranthi, L035 (Gabion)	I&II	20.425	1647.98	16.21	15.95	31.72	14.90	33.61	112.39
176	Dharchula	UT-09-78	Ghatbagar to Tankul, L48 (Gabion)	I&II	5.000	414.11	3.97	3.91	7.76	3.65	8.23	27.52
177	Dharchula	UT-09-79	Chhirkala to Jamku, L042	I&II	8.450	518.30	6.70	6.60	13.12	6.16	13.91	46.49
178	Dharchula	UT-09-80	Gasku Jeemafi (Jayko) to Kureela, L050	I&II	22.700	1659.20	18.01	17.73	35.25	16.55	37.36	124.90
179	Dharchula	UT-09-81	Sosa to Sirdag-Sirkha, L041	I&II	7.000	462.95	10.55	9.56	13.11	8.16	13.86	55.24
180	Dharchula	UT-09-82	Fultari to Fultari-Dhura-Rojibunga, L030	I&II	11.875	855.57	9.42	9.27	18.44	8.66	19.54	65.33
181	Dharchula	UT-09-70	18 Mtr. Span Steel Girder at Km-1 (X.S. 0/18 - 0/20) of Bageecha to Sinyakhola MR, L034	Bridge	–	153.33	0.04	0.15	2.06	0.19	2.18	4.62
182	Dharchula	UT-09-71	30 Mtr. Span Steel Girder at Km-2 (X.S. 0/39 - 1/10) of Bageecha to Sinyakhola MR, L034	Bridge	–	206.96	0.04	0.15	2.66	0.19	2.18	5.22
183	Dharchula	UT-09-83	Bageecha to Sinyakhola, L034	I&II	15.225	1207.26	12.08	11.89	23.64	11.10	25.06	83.77
184	Dharchula	UT-09-73	30 Mtr. Span Steel Girder at Km-1 (X.S. 0/5 - 0/7) of Kalika to Bajani MR, L028	Bridge	–	204.98	0.04	0.15	2.66	0.19	2.18	5.22
185	Dharchula	UT-09-84	Kalika to Bajani, L028	I&II	6.050	336.27	8.85	8.10	11.05	7.09	11.84	46.93
186	Dharchula	UT-09-72	36 Mtr. Span Steel Girder at Km-8 (X.S. 7/18 - 7/20) of Galati to Ramtoli-Dhamigaon MR, L031	Bridge	–	258.93	0.04	0.15	2.90	0.19	2.19	5.47
187	Dharchula	UT-09-85	Galati to Ramtoli-Dhamigaon, L031	I&II	8.500	550.44	6.74	6.64	13.20	6.20	13.99	46.77
188	Dharchula	UT-09-86	Jauljivi-Munsyari Road (Bangapani) to Jara Jibli, L021	I&II	19.800	1114.21	15.71	15.46	30.75	14.44	32.58	108.94
189	Dharchula	UT-09-75	30 Mtr. Span Steel Girder at Km-10 (XS 9/15-9/ 16) of Jauljivi-Munsyari Rd.(Bangapani) to Jara Jibli, L021	Bridge	–	162.15	0.05	0.16	2.94	0.20	2.33	5.68
190	Dharchula	UT-09-69	36 Mtr. Span Steel Girder at Km-4 of Sobla to Umachiya MR, L045	Bridge	–	211.35	0.04	0.15	2.90	0.18	2.18	5.45
191	Dharchula	UT-09-87	Sobla to Umachiya, L045	I&II	10.250	881.12	8.13	8.01	15.92	7.48	16.87	56.41
192	Dharchula	UT-09-122	30 Mtr. Span Steel Girder at Km-2 (X.S. 1/22 - 1/24) of Pauri to Ghatkona M.R., L025	Bridge	–	153.93	0.04	0.15	2.64	0.18	2.17	5.18
193	Munsyari	UT-09-120	30 Mtr. Span Steel Girder at Km-2 (X.S 1/38 - 1/40) of Munsyari to Harkot MR, L036	Bridge	–	167.82	0.05	0.16	2.94	0.20	2.33	5.68
194	Munsyari	UT-09-121	30 Mtr. Span Steel Girder at Km-3 (X.S 2/37 - 2/38) of Munsyari to Harkot MR, L036	Bridge	–	200.78	0.05	0.16	2.94	0.20	2.33	5.68

Chief Engineer
U.R.R.D.A.

Chief Executive Officer
U.R.R.D.A.

Principal Secretary
Rural Development

संलग्नक-5

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में मा0 मु0 घो0 संख्या 584/2012 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.1107 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

स्थलीय निरीक्षण आख्या

भारत सरकार के पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/205/2019 एफ0सी0 227 दि0 24.05.2023 के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.06.2025को प्रस्तावित नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट तक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्मित होने से ग्राम सोसा के तोक नयन एवं पस्ती जो कि मोटर मार्ग से वंचित है, को मोटर मार्ग से जोड़ा जा सकेगा तथा प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से सोसा एवं जयकोट को दोहरी संयोजकता प्राप्त हो सकेगी तथा व्यास घाटी एवं चौदास घाटी के ग्रामों को भी दोहरी संयोजकता का लाभ प्राप्त होगा।

साथ ही अवगत कराना है कि प्रस्तावित मार्ग के दायीं ओर जो मार्ग निर्माण कार्य प्रदर्शित हो रहा है, उसमें वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पी0एम0जी0एस0वाई योजना अन्तर्गत गस्कू जिमाफी कुरीला मोटर मार्ग के नाम से वर्ष 2023 में विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है (विधिवत स्वीकृति आदेश संलग्न)।

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़